(58)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2014 निगरानी R 2764 III/14

मुकन्दी (कुन्दी) तनय परमा कुशवाह निवासी गग्रम कैडी तह0 व जिला छतरपुर म.प्र.

.............आवेदक

विरूद्ध

ठाकुर दास तनय मुलुआ काछी निवासी ग्राम कैडी तह. व जिला छतरपुर म.प्र. ।

..........अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश 6.6.2014 पारित द्धारा राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. अधीन प्रकरण क 34/अ–12/13–14 , अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि निगरानीकर्ता की गग्रम कैडी तहसील छतरपुर जिला छतरपुर स्थिति भूमि सर्वे न0 1485 का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी कृषक है। प्रतिनिगरानीकर्ता द्धारा उक्त भूमि सर्वे क 1485,1498/2 रकवा क 1.420 , 0.550 है0 के सीमाकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया। इस प्रकार निगरानीकर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्ता दोनो ही एक दुसरे के मेडिया कृषक है।

2. यहकि, प्रतिनिगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो सीमाकन किये जाने वावत आवेदन पत्र दिया जिस पर अन्य लोगो को सूचना पत्र जारी किये किये परन्तु आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नही किया गंव

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2764-तीन/2014 जिला छतरपुर **मुकन्दी विरूद्ध ठाकुरदास**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील छतरपुर के सीमांकन आदेश दिनांक 06-06-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 28.12.18 सदस्य	